कार्यालय सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी, चमोली

सार्वजनिक सूचना

भू-स्वामी/उसमें हितग्राही व्यक्तियों के लिए

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58

कि0मी0 430.000 से कि0मी0 446.000 तक सड़क विस्तारीकरण/चौड़ीकरण के निर्माण हेतु भुमि अर्जन के लिए प्रतिकर धनराशि की घोषणा।

समस्त भू-स्वामी/हितग्राही व्यक्तियों का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 के कि0मी0 430.000 (पीपलकोटी) से कि0मी0 446.000 तक सड़क विस्तारीकरण/चौड़ीकरण के निर्माण के लिए ग्राम बाटुला, नोरख, अगथला, गडोरा, की भूमि के अर्जन हेतु राष्ट्रीय अधिनियम 1956 की धारा 3ए के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 22 मार्च, 2016 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांकः 21 मार्च, 2017 एवं निम्नलिखित समाचारपत्रों में प्रकाशित की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र0सं0	अधिसूचना	समाचार पत्र का नाम जिसमें प्रकाशित हुआ	समाचार पत्र का दिनांक
1.	धारा-3ए	1. दैनिक जागरण 2. हिन्दुस्तान	15 जून, 2016
2.	धारा-3डी	1. दैनिक जागरण 2. हिन्दुस्तान	06 मई, 2016

यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी के अन्तर्गत आदेश दिनांकः 12.01.2018 के द्वारा उक्त ग्राम बाटुला, नोरख, अगथला, गडोरा, की भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन संस्था (एन.एच.आई.डी.सी.एल.) ने प्रतिकर की वांछित धनराशि अधोहस्ताक्षरी के पास निस्तारण हेतु रखी है। सम्बन्धित भू-स्वामी/हितग्राही व्यक्तियों को नोटिस, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ई के अन्तर्गत वांछित है, भी जारी किए गए हैं।

तदनुसार समस्त सम्बन्धित भू-स्वामी/हितग्राही व्यक्तियों को एतद्द्वारा इस अतिरिक्त सर्वाजनिक सूचना के माध्यम से सूचित/अधिसूचित किया जाता है कि जो याचीगण प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं प्रतिकर प्राप्ति हेतु फोटो (पासपोर्ट साईज), एक रसीदी टिकट, आधार नम्बर, बैंक पासबुक, फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति, आई0एफ0एस0सी0 कोड, शपथ पत्र, नवीन खसरा-खतौनी की प्रति व तहसीलदार के द्वारा जारी हिस्सा प्रमाण पत्र व अदेयता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा कर, प्रतिकर की धनराशि को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य-दिवस प्रातः काल 10:00 बजे से सांयकाल 2:00 बजे के बीच 60 दिनों के अन्दर प्राप्त कर सकते हैं और अधोहस्ताक्षरी को सम्बन्धित भूमि का अभ्यर्पण या कब्जा प्रदान करें, इसमें असफल रहने पर सम्बन्धित भूमि का कब्जा 60 दिन की अवधि के पश्चात् पुलिस की सहायता से ले लिया जायेगा।

समक्ष अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी,
चमोली।